

तारीख
हुक्म

प्रकरण संख्या 64/2019
मुकेश कुमार खटीक बनाम संजय खटीक

11.11.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार विधिवत आवाजे लगाने पर भी निगराकार की ओर से कोई हाजिर नहीं आया। निगराकार एवं निगराकार के अधिवक्ता का न्यायालय समय तक इन्तजार किया गया। लिहाजा निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से कम करे।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सेवामे

श्रीमान जि
भीलवाड़ा

1. श्री मुकेश कु
तहसील- मा

संजय आत्मज श
जिला- भीलवा
ग्राम पंचायत बा
भीलवाड़ा (राज.)

निगरानी 3

निगरानी विरुद्ध आ
186/2013 दाय

द जो

निग

निवेदन है कि-

कि नगर निगराकार
पक्ष में राजस्थान
दिनांक 09.01.2013
नियम विरुद्ध जारी

के ग्राम पंचायत बा
ती राज अधिनियम
नगराकार नं. 3
स्थिति में नगरनिग

नगरनिगराकार न
पक्ष पंचायती रा
है। नियम 15
पंचायती दर पक्ष
न्य व्यक्ति है ज
नगरनिगराकार नं.

[Handwritten signature]